

कार्यालय प्राम पंचायत - फृतीम-पुर  
 तिकास स्थान - सावात  
 जनपद - गाजीपुर  
 ग्राम -  
 दिनांक -

**विषय:-** जल जीवन मिशन (इर घर याल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

मालिक

अवगत कराना ह कि दिनांक **22/01/23** को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रलोक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपात्र पारमिक / जूँहाइस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, ऑगनवाडी कार्यकर्त्री / शासियों, कांटदार, ए०एम०ए० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उगत बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पथजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिवार के गुणियों द्वारा दी गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पथजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमति है।

उल्लङ्घन: अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण कराने हेतु आवश्यक कार्यालयी कराने का काट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

भवदीय,

बुल ११५-८९९  
 ग्राम पंचायत-फृतीम-पुर  
 (गाजीपुर) - गलियार  
 (खुण्ड-सावात, गाजीपुर)  
 ग्राम प्रधान

M.P. Singh  
 Sushma (Director)  
 Sushma Foundation  
 Varanasi (U.P.)

( )  
 ग्राम पंचायत सचिव  
 ग्राम पंचायत सचिव  
 ग्राम पंचायत, गाजीपुर

## ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: 23/7/23

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 22/06/23

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: गाँवीन्धुन

ग्राम पंचायत का नाम: गाँवीन्धुन

ब्लॉक का नाम: रामगढ़

जिला का नाम: गाँवीन्धुन

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

#### 1. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : ..... (संख्या) मरवेशी कुंडों को और ..... (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् 8. घन्टे निर्धारित गुणवत्ता • वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष 24 तक 21.10% योगीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदृष्टि नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का 10%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

• पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति):

समिति को क्या कहा जाता है: पूर्ण व्यवस्था समिति

अध्यक्ष का नाम: दृष्टि वार्षि

लिंग: महिला

आयु: 42

1/21/2023  
सुश्मा फाउंडेशन - विकास और विकास, गाँवीन्धुन  
प्राप्ति अनुमोदन प्राप्ति

P. Singh

(Director)

Sushma Foundation  
Gangapur (U.P.)

## III. सामान्य विवरण

6.

प्रतिवर्षीय वर्षा की मात्रा:	1000 mm
प्रतिवर्षीय वर्षा की मात्रा:	1000 mm
प्रतिवर्षीय वर्षा की मात्रा:	1000 mm

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): 16.11 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण  
वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): 210 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): 400

9. कृषि फसल पैटर्न:

प्रतिवर्षीय वर्षा की मात्रा:	1000 mm
प्रतिवर्षीय वर्षा की मात्रा:	1000 mm
प्रतिवर्षीय वर्षा की मात्रा:	1000 mm

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में):

165 + 170 K.m

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि):

समतल

## IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हैं / नहीं)  
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)हैं13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हैं / नहीं)  
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)हैं

14.

प्रतिवर्षीय वर्षा की मात्रा:	1000 mm
प्रतिवर्षीय वर्षा की मात्रा:	1000 mm
प्रतिवर्षीय वर्षा की मात्रा:	1000 mm
प्रतिवर्षीय वर्षा की मात्रा:	1000 mm
प्रतिवर्षीय वर्षा की मात्रा:	1000 mm

### पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 73.43 के.एल.डी.  
मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 70 के.एल.डी.  
मवेशी कुंडों की आवश्यक संख्या: 3  
मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 66-11 के.एल.डी.  
अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 70 के.एल.डी.

### पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/घटनात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न,  
पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: \_\_\_\_\_
17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: नहीं
18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त नहीं
19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: ढोरिया, मलेरिया, दल्हा
- ### पानी की गुणवत्ता
20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुद्रय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_

21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_

22. जल आपूर्ति योजना में इस्सेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (थोरो) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत  
का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_
- ### कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान
23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल क्लोक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे  
अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: \_\_\_\_\_
- 99

## स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामते में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हॉ/नहीं) हॉ

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कार्याकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदला जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 73 के.एल.डी.अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 3उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 5आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: 8क्या अपशिष्ट तलछठ तालाब की आवश्यकता है? (हॉ/नहीं) हॉयदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: अभा नहीं

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

## V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम और तक पहुँच के तिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: समुद्र तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन केआधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: जल जीवन प्रैशन 2024इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: 2145 पंचायत दस्ता निर्धारित ज्ञामवह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: 2024योजना की लागत: 1.90 भारत सरकार का हिस्सा: X राज्य का हिस्सा: Xसमुदाय का हिस्सा: 10% व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:वार्षिक प्रचालन व रख-खाल शुल्क: X व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क: पी.डब्ल्यू.एस.: \_\_\_\_\_ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

## VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29.

प्रयोक्ता शुल्क	व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क
प्रयोक्ता शुल्क	व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क
प्रयोक्ता शुल्क	व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क
प्रयोक्ता शुल्क	व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क
प्रयोक्ता शुल्क	व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क



प्रोजेक्ट नाम	वैकल्पिक	समावित योगियों का पूरा नामकरण है।	प्रस्तावित निपटन
एकीकृत बाटरेड प्रधानमंत्री कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एस.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	बाटरेड प्रधानमंत्री और उच्चाल्प एवं कार्यमुद्देश भूमिका विभाग के लिए जल निकायों का निर्माण। तृष्णि आदि।	
जल भड़ारों की सरम्मत, नदीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भड़ारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	बाटरेड से संबंधित बर्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एकीफरी से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक वनोकरण कोष प्रधानमंत्री आयोजना प्रशिक्षण	पश्चात्यरण, वन और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय	वनोकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्रज्ञ पुनर्जनन, बॉटलोड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समय नियम	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सूखलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकाशी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला अनिज विकास नियम (टी.एस.ए.क)	राज्य	बड़े क्षेत्रों पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एन.ए.डी.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतर्गत अवसंरचना	
एम.एल.ए.एस.ए.टी.	राज्य	अंतर्गत अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्गत अवसंरचना	
दानदाता प्रायोजन			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: मिशन प्राइवेट लिमिटेडपी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: पी.एच.ई.डी.आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): मिशन प्राइवेट लिमिटेड**संपर्क विवरण**

गाम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष: पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकलीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. श्रेजना - ८३१५८३ ९३६०
2. श्रेष्ठा ~~मिशन~~ ९९१ ९७०१३५०
3. छिशन - ८३३९२७१३४५
4. शुभिला - ९८३४८२७१२७
5. वैनफता - ९२१९०४९१४७०

पाप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

मिशन प्राइवेट लिमिटेड  
 राम राजपुत-फातेहपुर  
 नाला पंचायत-परिवार  
 खण्ड-सादात, गाजीपुर

  
**M.P. Singh**  
 (Director)  
 Sushma Foundation  
 Varanasi(U.P.)